वाहनों में वी0आई0पी0 नम्बर भुगतान के आधार पर आवंटित किये जाते हैं। इस हेतु उत्तर प्रदेश मोटरयान नियमावली**, 1998** के नियम-51-क के उपनियम (2) के खण्ड (दो) के अन्तर्गत परिवहन आयुक्त**,** उत्तर प्रदेश द्वारा आकर्षक रजिस्ट्रीकरण संख्याओं को अधिसूचित किया जाता है।

उक्तानुसार अधिसूचित आकर्षक रजिस्ट्रीकरण संख्याओं के आरक्षण हेतु आवेदक द्वारा नियम-51-क के उपनियम (2) के खण्ड (चार)(क) के अन्तर्गत आवेदन किया जाता है तथा रजिस्ट्रीकर्ता प्राधिकारी द्वारा आकर्षक रजिस्ट्रीकरण संख्या यथास्थिति नीलामी प्रक्रिया के माध्यम से या ''प्रथम आगत प्रथम स्वागत'' के सिद्धान्त पर ऑनलाइन माध्यम से आवंटित की जाती है।

जी नहीं।

उत्तर प्रदेश मोटरयान नियमावली**, 1998** के नियम-51-क के उपनियम (2) में प्राविधान है कि ''केन्द्रीय मोटरयान नियमावली**, 1989** के विहित प्रपत्र-20 में आवेदन पत्र प्राप्त होने पर रजिस्ट्रीकरण अधिकारी ऐसी रजिस्ट्रीकरण संख्या पृष्ठांकित करेगा'' चूंकि प्रपत्र-20 पर नये वाहनों के पंजीयन हेतु आवेदन किया जाता है। अतः स्पष्ट है कि नियम-51-क के अन्तर्गत आवंटित की जाने वाली संख्यायें नयी वाहनों पर ही आंवटित की जा सकती हैं।

(दयाशंकर सिंह)

राज्यमंत्री (स्वतंत्र प्रभार)

परिवहन विभाग।